कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–09/उपा०बीज०अनु०–30/2009 1157 /कृ0, पटना, दिनांक 14-3-2016

प्रेषक,

बी0 कार्तिकेय, भा0प्र0से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 रॉयल बंगाल प्रा0 लि0,
c/o श्री लक्ष्मी ट्रैडर्स,
टेकारी रोड, गया।

विषय :– **मे0 रॉयल बंगाल प्रा0 लि0 के अनुज्ञप्ति संख्या–133 दिनांक–29.06.2009 को रद्द करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित आपके अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आपकी अनुज्ञप्ति संख्या–133 दिनांक–29.06.2009 की वैधता अवधि दिनांक–28.06.2015 तक थी। बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् अधिकतम एक माह के अन्दर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन किये जाने का प्रावधान है। लेकिन आपके द्वारा आवेदन निदेशालय को दिनांक–05.10.2015 को समर्पित किया गया।

अतः अनुज्ञप्ति नवीकरण का प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के आलोक में आपकी नवीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए बीज अनुज्ञप्ति संख्या–133 दिनांक–29.06.2009 को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना
दूरभाष सं०–0612–2215895 फैक्स नं०–0612–2204245

ज्ञापांक 1157 /कृ0 पटना, दिनांक 14-3-2016

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य), गया प्रमंडल, गया/जिला कृषि पदाधिकारी, गया/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।